विवाह संस्था के प्रति युवतियों का बदलता दृष्टिकोणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. सोनल मेहरोत्रा
काशीपुर (उधम सिंह नगर) उत्तराखंड

सारांश

विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिन्दू जातियों और गैर हिन्दू समुदायों में भी विवाह को सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाह को जीवन जीने की जरुरत के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। समकालीन भारतीय समाज में विवाह ओर उससे जुड़े रीति-रिवाजों में निरंतर परिवर्तन दृष्टिगोचर है। विवाह सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के नियमन के रुप में प्रचलित है। यह संस्था कई परिवर्तनों से गुजरी हुई अतार्किक ओर अनुपयोगी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यताओं को अस्वीकार कर रही है। यह अब कई मान्यताओं में एक पक्षीय ना होकर द्विपक्षीय अर्थात् दोनों पक्षों को बदलती सोच के रूप में उजागर हो रही है। युवा पीढ़ी के मन-मस्तिष्क में रुढ़ीवादी मान्यताओं के प्रति और दोनों पक्ष एक समान मुद्दे के प्रति क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा रहा है। विवाह के संबंध में युवाओं के विचारों में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए प्रत्येक युवती अपने और अपने परिवार के विचारों को महत्वपूर्ण मानकर विवाह संबंधित फैसला लेना चाहती है।

प्रस्तुत अध्ययन विवाह संबंधी युवतियों के विचारों में आने वाले परिवर्तन ओर उनकी विवाह से संबंधित आकांक्षाओं से संबंधित है। विवाह करने के लिए साथी का चुनाव करना हो, आर्थिक रुप से स्वच्छंदता की मांग हो या समाज में अपने सभी उत्तरदायित्व को निभाते हुए स्वयं के लिए कुछ करने की मंशा से संबंधित विचार हो सभी पहलुओं में स्त्रियां अपनी भागीदारी समान रुप से चाहती हैं।

मुख्य शब्द- विवाह संस्था और परिवर्तन,भूमण्डलीयकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्

प्रस्तावना -

विवाह का मूल उद्देश्य धर्म था। जिनका पालन किया जाना विवाह की पूर्णता के लिये आवश्यक है। यह मुख्य कृत्य हैं-होम, पाणिग्रहण सप्तपदी। यह ब्राम्हण के द्वारा पवित्र अग्नि की साक्षी में मंत्रों के साथ विवाह की पूर्णता के लिये आवश्यक हैं क्योंकि इनमें से कोई भी एक उचित रुप से संपादित ना हो तो कानून की दृष्टि से विरुद्ध माना जाता है। हिन्दू विवाह एक संस्कार है, यह तभी पूर्ण होता है, जब पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ किये जायें।

भारतीय समाज में जहां एक ओर सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह ना होना जैसी कुप्रथायें प्रचलित थीं, वही वर्तमान आधुनिक भारतीय समाज में विवाह को विवाह विच्छेद और विवाह विच्छेद के पश्चात् दूसरी शादी करने की कानूनन आजादी दी गई है। इसके साथ ही विवाह के तरीकों में भी परिवर्तन आ रहा है। वर्तमान समय में स्त्रियां अपनी इच्छानुसार वर का चयन करती हैं। वह घर संभालने के साथ-साथ घर की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये बाहर काम करती हैं।

औद्योगीकरण, नगरीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण हमारे देश की जनता, विशेषकर शहरी आबादी के दृष्टिकोण, मूल्यों, विचारों में कई सामाजिक-मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुये हैं। ग्रामीण जनता भी इस प्रभाव से अछूती नहीं है। इसी प्रभाव के कारण विवाह संस्था और उससे संबंधित प्रत्येक मुद्दें में भी निरंतर क्रान्तिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे है।

बाजार, पूँजी, संचार-साधनों एवं संचार-क्रांति की ताकत के दम पर एक स्त्री की दुनिया बदल रही है। भूमण्डलीकरण द्वारा अब पहले से कहीं ज्यादा स्त्रियां अपने लैंगिक हित को ध्यान में रखकर वोट डालती है, राजनीति में सीधी भागीदारी करती हैं। अब पहले से कहीं ज्यादा महिलाओं के पास अपनी निजी आमदनी का स्रोत है और वे आर्थिक रुप से आत्म निर्भर हैं।[1]

भूमण्डलीकरण, पश्चिमीकरण, मीडिया और शिक्षा के प्रभाव के कारण युवतियों की सामाजिक धारणाओं में निरंतर बदलाव आता जा रहा है। जनांकिकीय और सामाजिक परिवर्तनों की आधुनिक प्रवृत्तियों जैसे-विवाह की आयु में वृद्धि, व्यवस्थित विवाह एवं प्रेम-विवाह के स्वरुप में परिवर्तन, अपेक्षाकृत छोटा परिवार, एकल परिवार, बढ़ती कीमतों, जीवन-स्तर तथा निर्णय विधान में पहले से अधिक सहभागिता का आहवान-यह सब महिलाओं की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में आधारभूत परिवर्तन ला रहे हैं। जिससे महिलाओं के सोचने-विचारने के तरीकें में ही नहीं अपितु उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं में निरंतर परिवर्तन दिखाई देने लगा है।[2]

विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। विश्व के सभी समाजों में इस संस्था का प्रचलन किसी न किसी रूप में अवश्य ही पाया जाता है। मानव प्रजाति की निरंतरता, स्त्री-पुरुष के समागम पर

ही निर्भर करती है। यह समागम नैतिक व चारित्रिक प्रतिमानों पर आधारित होता है। प्रत्येक सामाजिक-व्यवस्था निर्धारित सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा स्त्री पुरुष के बीच पाये जाने वाले इन संबंधों का विवाह के माध्यम से नियमन करती है।

भारतीय समाज में मूल्यों पर बहुत जोर दिया जाता है। परन्तु बदलते समय और परिस्थितियों के परिणाम स्वरुप इन मूल्यों में परिवर्तन आ रहे हैं। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार-सामाजिक मूल्यों मनोवृत्तियों, विचारों, आचरणों या व्यवहारों के साथ जुड़े हुये हैं जिन्हें व्यक्ति अपने आचरण के लिये स्वीकार करते हैं तथा जो सही-गलत, वांछित-अवांछित के आधार पर आचरणीय व्यवस्था के लिये स्वीकार किये जाते हैं।[3]

भूमण्डलीयकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और शिक्षा के बढ़ते प्रभाव से विवाह संस्था के मूल्यों, आदर्शों, परम्पराओं और प्रथाओं में भी निरन्तर परिवर्तन हो रहा हे। इस प्रकार विवाह संस्था अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजर रही है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण यह जानना आवश्यक हो जाता है कि विवाह संबंधी किन-किन मूल्यों में परिवर्तन आ रहे है। किसी भी एक सामाजिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन समाज के सभी अन्य अंगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण है। मैकाइवर लिखते है, समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है।[4] सामाजिक ढाँचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है।

विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो विश्व के प्रत्येक भाग में पाई जाती है। विवाह को एक अति प्राचीन एवं अनिवार्य संस्था के रुप में माना जाता है। विवाह किसी समाज में धार्मिक संस्कार है तो दूसरे समाज में समझौता है, परन्तु प्रत्येक समाज में चाहे वह आदिम हो, आधुनिक हो, ग्रामीण हो या नगरीय, विवाह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। विवाह को परिवार की आधारशिला के रूप में माना जाता है। मानव जीवन का संचालन विवाह की संस्था द्वारा ही किया जाता है। विवाह के मूल उद्देश्य धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति, बच्चों का लालन-पोषण, यौन-सन्तुष्टि, स्त्री-पुरुष का सह-अस्तित्व, सामाजिक प्रस्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक सुरक्षा है।

साहित्यिक पुरावलोकन-

1. **शुक्ला महेश, मिश्रा शुभ्राणी (2017)**[5] ने अपने अध्ययन में 300 स्नातकोत्तार कक्षाओं में अध्ययन कर रही छात्राओं को सम्मिलित किया है। 51 प्रतिशत छात्राओं ने विवाह की उचित आयु 25 से 30 वर्ष के बीच बताई है। विवाह से पूर्व छात्राएं संयुक्त परिवार में रहना पसंद करती हैं और शादी के पश्चात् एकांकी परिवार में रहना चाहती है। अधिकतर छात्राएं अपनी जाति में विवाह करने को

प्राथमिकता देती है।

2. **दिलारा जाहिद (2007)**[6] ने अपने अध्ययन में पाया कि भारतीय समाज में अन्तर्जातीय विवाह एवं अन्तरर्धर्मीय विवाहों में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन में यह तथ्य उभर कर सामने आये कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के युवा-वर्ग इस प्रकार के वैवाहिक संबंधों को अधिक स्वीकार कर रहे हैं।

3. **सन्ध्या शर्मा एवं प्राची चांदोला (1996)**[7] ने अपने अध्ययन में पाया कि भारतीय समाज में अन्तर्धर्मीय विवाहों में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन में यह तथ्य उभर कर सामने आये कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के युवा-वर्ग इस प्रकार के वैवाहिक संबंधों को अधिक स्वीकार कर रहे है।

4. **इस्लाम एफ. (1984)**[8] ने अपने अध्ययन में बताया कि जाति और धर्म के कारण हिन्दू ओर मुस्लिम उत्तरदाताओं के आयु संबंधी विचारों में अंतर दिखाई देता है। हिन्दू उत्तरदाताओं के अनुसार विवाह की उचित आयु 22 वर्ष होनी चाहिये जबकि दूसरी ओर मुस्लिम उत्तरदाताओं ने विवाह की उचित आयु 20 वर्ष बताई है।

5. **राजमोहनी सेठी (1976)**[9] ने अपने अध्ययन में चण्डीगढ़ तथा अंकाश (तुर्की) क्षेत्र में विकासशील समाजों में कार्यशील महिलाओं के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया कि दोनों जगह की महिलाओं ने अधिक उम्र में विवाह करने पर जोर दिया लेकिन भारतीय महिलाओं ने इसमें माता-पिता की सहमति को आवश्यक माना जबकि तुर्कीस्ट महिलाओं ने नहीं। इसी प्रकार तुर्कीस्ट महिलाओं ने विशेष परिस्थिति में तलाक को उचित ठहराया जबकि भारतीय महिलायें इसे आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

6. **प्रमिला कपूर (1974)**[10] ने अपने अध्ययन में बताया कि भारतीय समाज में स्वहित और लाभ की भावना बढ़ रही है, जबकि समाज कल्याण और विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानने की भावना में कमी आ रही है।

उद्देश्य - प्रस्तुत अध्यन का प्रमुख उद्देश्य युवतियों में विवाह के परंपरागत स्वरुप में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करना और उनकी विवाह से संबंधित आकांक्षाओं को पता लगाने से संबंधित है।

शोध प्रारुप -

प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगर में स्थित काशीपुर नामक शहर की 18 से 36 आयु वर्ग की 50 युवतियों पर किया गया है। न्यायदर्श का चुनाव दैव निदर्शन प्रणाली के अंतर्गत

रेण्डम सैम्पलिंग प्रणाली के लॉटरी विधि के माध्यम किया गया है। प्रस्तु अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरुप किया गया है।

तालिका-1

आयु वर्ग के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

आयु (वर्षों में)	उत्तरदाता	
	संख्या	प्रतिशत
18–20	13	26
21–23	16	32
24–26	21	42
कुल योग-	**50**	**100**

उक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि युवतियों में 26 प्रतिशत 18 से 20 आयु वर्ग की हैं। 21 से 23 आयु वर्ग की 32 प्रतिशत युवतियाँ है। 42 प्रतिशत 24 से 26 आयु वर्ग की युवतियाँ है।

तालिका-2

धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

धर्म	उत्तरदाता	
	संख्या (आवृत्ति)	प्रतिशत
हिन्दू	27	54
मुस्लिम	19	38
अन्य	4	8
कुल योग	**50**	**100**

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हिन्दू धर्म की युवतियों की संख्या सर्वाधिक 54 प्रतिशत है। 38 प्रतिशत युवतियाँ इस्लाम धर्म को मानने वाली हैं। 8 प्रतिशत युवतियाँ अन्य धर्म को मानने वाली हैं।

विवाह ही समाज की वह मूलभूत संस्था है, जिसके माध्यम से परिवार अस्तित्व में आता है। अध्ययन में विवाह की अनिवार्यता के संबंध में जो मन्तव्य प्राप्त हुये वे इस प्रकार है-

तालिका-3

विवाह की अनिवार्यता के संबंध में उत्तरदाताओं के विचार

श्रेणी नाम	उत्तरदाता	
	संख्या (आवृत्ति)	प्रतिशत
हाँ	38	76
नहीं	12	24
कुल योग	**50**	**100**

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 76 प्रतिशत युवतियाँ विवाह को अनिवार्य मानती हैं, उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सहारे की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर 24 प्रतिशत युवतियाँ विवाह को आवश्यक नहीं मानती। उत्तर आधुनिकता के युग में शिक्षित युवतियाँ आर्थिक रुप से सक्षम बनकर अपने जीवन को अपने ढंग से ही बिताना पसन्द करती है। वह विवाह को जीवन बिताने के लये आवश्यक नहीं मानती।

तालिका-4

लड़की के विवाह की आयु

आदर्श आयु	उत्तरदाता	
	संख्या (आवृत्ति)	प्रतिशत
18–21	04	08
22–25	29	58
25 से अधिक	17	34
कुल योग	**50**	**100**

उक्त सारणी स्पष्ट करती है कि लगभग 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लड़की के लिये विवाह की आदर्श आयु 18 से 21 वर्ष मानी है। जबकि 58 प्रतिशत उत्तरदाता 22 से 25 वर्ष की आयु को लड़की के विवाह के लिये उचित मानती हैं। 25 से ऊपर की आयु को विवाह योग्य मानने वालों की संख्या 34 प्रतिशत है।

तालिका-5

विवाह करने की पसन्दगी के संबंध में उत्तरदाताओं के विचार

श्रेणी नाम	उत्तरदाता	
	संख्या (आवृत्ति)	प्रतिशत
स्वजातीय	24	48
अन्तर्जातीय	11	22
अन्तर्धर्मीय	06	12
परिस्थिति पर निर्भर	09	18
कुल योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से विश्लेषणे से ज्ञात होता है कि क्रमश: 22 प्रतिशत और 12 प्रतिशत युवतियों ने अन्तर्जातीय एंव अन्तर्धर्मीय विवाह के प्रति रुचि दिखाई है। परन्तु उल्लेखनीय है कि 48 प्रतिशत युवतियां अभी भी पारिवारिक एवं सांस्कृतिक कारणों से स्वजातीय विवाह को ही प्राथमिकता देती हैं। 18 प्रतिशत युवतियाँ ऐसी भी है, जो जाति या धर्म को विवाह के लिये वर निर्धारण का आधार नहीं मानती।

तालिका-6

उत्तरदाताओं द्वारा विवाह सम्पादन की उचित पद्धति के संबंध में विचार

श्रेणी नाम	उत्तरदाता	
	संख्या (आवृत्ति)	प्रतिशत
परम्परागत	21	42
आर्य समाज/मंदिर में	04	08
न्यायालय में	16	32
किसी भी रूप में	09	18
कुल योग	**50**	**100**

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 42 प्रतिशत युवतियाँ परम्परागत विवाह को प्राथमिकता देती हैं दूसरी और 8 प्रतिशत युवतियाँ आर्य समाज रीति से या मंदिर में पूजा पाठ करके विवाह सम्पन्न कराने के तरीके पर अपनी सहमति व्यक्त करती हैं और 32 प्रतिशत युवतियाँ न्यायालय में विवाह करने के पक्ष में हैं लेकिन 18 प्रतिशत युवतियों का मत है कि विवाह किसी भी रीति से हो लेकिन दोनों पक्षों में सामंजस्य

बना रहना चाहिये।

अत: विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में विवाह संबंधी विचारों में अभी भी अधिकांश छात्रायें न्यायालय में या आर्य समाज रीति द्वारा मंदिर में विवाह की अपेक्षा परम्परागत तरीके से विवाह करना अधिक पसंद करती हैं।

तालिका-7

वैवाहिक संबंध में पत्नी और पति की प्रस्थिति के संबंध में उत्तरदाताओं के विचार

श्रेणी नाम	उत्तरदाता	
	संख्या (आवृत्ति)	प्रतिशत
समान	40	80
पति का दर्जा उच्च	08	16
पत्नी का दर्जा उच्च	02	04
कुल योग	**50**	**100**

उपर्युक्त सारणी में तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि सर्वाधिक उत्तरदाता वैवाहिक जीवन को पति-पत्नी की समान प्रसिीति वाले संबंध के रूप में देखते हैं। मात्र 8 प्रतिशत युवतियाँ परम्परानुसाार पति के दर्जे को उच्च मानती हैं। जबकि लगभग 4 प्रतिशत युवतियाँ पत्नी का दर्जा उच्च मानती हैं।

निष्कर्ष -

प्राचीन काल से चली आ रही विवाह संस्था का स्वरुप बदल रहा है। समाकालीन भारतीय समाज में परंपराओं और आधुनिकीकरण का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इस सम्मिश्रण में परंपरागत सोच के साथ-साथ युवा आधुनिक विचारधारा का भी समावेश है। पति पत्नी के बीच समान स्थिति के साथ, आने वाली युग की युवतियाँ प्रत्येक निर्णय में समान भागीदारी चाहती हैं। कुछ युवतियाँ अंतर्जातीय एवं अन्धर्मीय विवाह को दो धर्मो के बीच की दूरियाँ कम करने के संबंध में तर्क देती है।

वर्तमान समय में लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आ रहा है, परन्तु फिर भी समाज में पितृसत्तात्मक सोच अपनी जड़े जमाए हुए हैं। महिलाओं के लिए आज भी विवाह और परिवार से जुड़ी चुनौतियाँ कम नहीं हुई है। एक ओर जहां सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसी कुरीतियाँ समाज में समाप्त हो गई है, दूसरी और महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा व सामाजिक-आर्थिक समानता को लेकर जंग छिड़ी हुई है।

पिछले कुछ सालों में विवाह करने की आयु से संबंधित विचारों में भी परिवर्तन आये हैं क्योंकि आज विलम्ब विवाह का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। माता-पिता की सोचने की अभिवृत्ति में भी परिवर्तन आ रहे हैं। वे कन्या द्वारा चुने जाने वाले वर के योग्य होने पर उसका विवाह अपनी कन्या से कर देते हैं। वे पहले अपनी संतान को प्रत्येक परिस्थिति से लड़ने योग्य, आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाकर अपने दायित्वों का निर्वाह करने योग्य बनाना चाहते हैं, इसके पश्चातद्य उनका विवाह सम्पन्न कराते हैं।

संदर्भ सूची-

1. दुबे, अभय कुमार (2003), *पितृसत्ता के नये रुप: भारत का भूमण्डलीकरण,* वाणी प्रकाशन, पृ.सं. 221.
2. मेहरोत्रा सोनल (2008), *युवा छात्राओं के विवाह संबंधी मूल्यों में परिवर्तन: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (वनस्थली विद्यापीठ के विशेष संदर्भ में),* वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान.
3. मार्शल, गोल्डन (1998) *डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, पृ.सं. 689-690.
4. जॉनसन, हैरी एम. (1966), *सोशियोलॉजी ए सिस्टमैटिक इन्ट्रोडक्शन,* एप्लॉइड पब्लिशर्स, बम्बई, पृ.सं. 50.
5. शुक्ला महेश, मिश्रा शुभ्राणी (2007, *विश्वविद्यालयीन छात्राओं में परिवार एवं विवाह के प्रति बदलता दृष्टिकोण,* समाज वैज्ञानिकी, (३०), पृ.सं. 1-10.
6. जाहिद, दिलारा (2007), *इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाईजेशन ऑन द अपर क्लास यूथ इन ढाका,* यूनिवर्सिटी ऑफ डेवलपमेन्ट अल्टरनेटिव्स (यू.ओ.डी.ए.) ढाका.
7. शर्मा, संध्या एवं चन्दोला, प्राची: वेयर देयर पाथ क्रॉस, *द हिन्दुस्तान टाइम्स,* अक्टूबर 14, 1996.
8. एफ, इस्लाम (1987), राईजिंग एज ऐट मैरिज इन ए विलेज इन उत्तर प्रदेश, *जनरल ऑफ फैमिली वैल्फेयर.*
9. सेठी, राजमोहनी (1976), *मॉडनाईजेशन ऑफ वर्किंग वूमने इन डैवलपिंग सोसाइटीज,* नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली.
10. कपूर, प्रमिला (1974), *चेन्जिंग स्टेटस ऑफ वूमेन इन इण्डिया,* विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली.

स्वच्छता कार्य में लगे श्रमिकों की समस्यायें

डॉ. के.के.शर्मा

प्राध्यापक समाजशास्त्र

शा.ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय,रीवा (म.प्र.)

एवं

शशि सिंह

एम.फिल. समाजशास्त्र

शा.ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय,रीवा (म.प्र.)

सारांश

मानव जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं है-भोजन, वस्त्र और आवास। पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वस्त्र तथा साफ-सुथरा आवास मानव की कार्यक्षमता एवं जीवन को सुचारु रुप से सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम एवं वांछनीय आवश्यकताएं है। कार्यक्षमता की अनुकूल दशाओं के विकास के लिये श्रमिकों का संतुलित पोषण, स्वास्थ्य व आवास की उपलब्धता आवश्यक है, इसी प्रकार स्वच्छता कार्य में लगे श्रमिक, श्रमिकों की श्रेणियों में से एक हैं। स्वच्छता कार्य में लगे श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से स्वास्थ्य, संतुलित आहार व आवास है।

स्वच्छता कार्य में लगे श्रमिकों में महिला तथा पुरुष दोनों योगदान दे रहे है, जिनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवेश, वातावरण की सफाई के साथ-साथ स्वयं की स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। रीवा नगर में सफाई व्यवस्था में लगे श्रमिकों को सफाई के उपयुक्त साधनों का उपलब्ध न होना एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण इन्हें अपने स्वास्थ्य को दरकिनार करते हुए सफाई कार्य को पूरा किया जाता है। स्वच्छता कर्मियों को सफाई व्यवस्था के उपयुक्त साधनों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जिससे स्वच्छता कार्य को सुचारु रुप से पूरा किया जा सकें।

मुख्य शब्द- स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता कर्मी,सर्वेक्षण रैंकिंग

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्